



पत्रांक : कु0स0-2 B स030/15030/04-2018/2019

दिनांक : 28 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
विन्ध्य गुरुकुल कालेज फार वूमेन्स,
गोसाईपुर, चुनार
मीरजापुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0ए0-बी0एड0 एवं बी-एस0सी0-बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 30.01.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ता के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1.	श्री निर्मल सिंह	श्री शेर सिंह चाहर	15.07.88	नेट	प्रवक्ता बी0एस0सी0-बी0एड0	763001495325
2.	श्री समरजीत	श्री रामनरेश	10.07.86	नेट	प्रवक्ता बी0एस0सी0-बी0एड0	261392643284
3.	सुश्री कोमल गुप्ता	श्री विनोद कुमार गुप्ता	10.09.94	नेट	प्रवक्ता बी0ए0-बी0एड0 (चित्रकला)	972793970484
4.	श्री दीपक मिश्रा	श्री शेष नाथ मिश्रा	23.09.86	नेट	प्रवक्ता बी0एस0सी0-बी0एड0	937855156889
5.	सुश्री अर्चना	श्री अमरजीत यादव	05.04.82	नेट	प्रवक्ता बी0एस0सी0-बी0एड0	374651744804

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदारी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- वैयक्तिक सहायक, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, मा० गा० काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष -0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक कु0स0-2 B स0अ0/14737/04-2018/2019

दिनांक : 11 जनवरी, 2019

श्वक,
1. गुरुकुल कालेज फार वूमेन्स,
गो. ईपुर चुनार,
मीर, पुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0ए-बी0एड0 एवं बी0एस0सी-बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 26.12.2018 एवं 22.12.2018 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-16(409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18 (99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1010/70-3-2015-बी0एड0(05)/2014 दिनांक 15 जून, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्ष, प्रवक्ता के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान किया है कि उक्त पाठ्यक्रम के विश्वविद्यालय परिनियम में सम्मिलित होने एवं कार्यपरिषद् की स्वीकृत के उपरान्त ही सम्बद्धता पर विचार किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय/शैक्षिक अर्हता	पद	आधार सं०
1.	डॉ० अर्चना श्रीवास्तव	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	07.07.79	पी.एच.डी. / वाणिज्य	विभागाध्यक्ष	460134916906
2.	सुश्री शालिनी विश्वकर्मा	श्री अशोक कुमार	27.10.91	नेट/अर्थशास्त्र	प्रवक्ता	884247771260
3.	सुश्री किरन बाला गुप्ता	श्री संजय कुमार गुप्ता	26.07.81	नेट/शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता	544677419611
4.	डॉ० ममता गुप्ता	श्री रामनरेश गुप्ता	05.10.84	पी.एच.डी. / शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता	327719540308
5.	सुश्री प्रिया रानी मौर्या	श्री मनोहर प्रसाद मौर्या	25.08.86	नेट/संस्कृत	प्रवक्ता	753907023878
6.	श्री चन्द्रजीत गौतम	श्री रामलोचन	27.07.85	नेट/इतिहास	प्रवक्ता	921576625641

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के सहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव
[Signature]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै0स0, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/14483/04-2018/2018

दिनांक : 30 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक,
विन्ध्य गुरुकुल कालेज फॉर वूमैन्स,
गोसाईपुर शक्तेशगढ़, चुनार
मीरजापुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0ए0-बी0एड0 पाठ्यक्रम में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 06.09.2018 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-16(409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18 (99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता/विषय	पद	आधार सं०
1.	श्री विनय कुमार सिंह	श्री रामभूति सिंह	01.02.74	नेट/इतिहास	प्रवक्ता बी0ए0 बी0एड0	979560757273
2.	श्री सुनील कुमार जायसवाल	श्री नथुनी प्रसाद जायसवाल	10.08.90	नेट/राजनीतिशास्त्र	प्रवक्ता बी0ए0 बी0एड0	382562579018
3.	श्री सुभाष चन्द्र मौर्य	श्री शिवदास मौर्य	09.02.87	नेट/हिन्दी	प्रवक्ता बी0ए0 बी0एड0	588326827771
4.	सुश्री चन्द्रिका देवी	श्री रामजी पटेल	16.03.88	नेट/संस्कृत	प्रवक्ता बी0ए0 बी0एड0	203353683196

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ताओं को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी, साथ ही सूचित किया जाता है कि डॉ० अर्चना श्रीवास्तव का आधार कार्ड न होने के कारण इनका अनुमोदन नहीं किया गया है। आधार कार्ड उपलब्ध कराने पर अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै0स0, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव
(प्रबन्धक)
Ass. Registrar
(Admin.)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2221718

पत्रांक : 810कु0810-2 B 810310/13473 /04-499-2017/2018

दिनांक : 19 मार्च, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक,
विश्व गुरुकुल कॉलेज फार वूमेन्स,
गोसाईपुर, चुनार,
भीरजापुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए-बी०एड एवं बी०एस०सी०-बी०एड० पाठ्यक्रम में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24.01.2018 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति, अध्यापन अनुभव सत्यापन के पश्चात विचारोपरान्त कुलपति महोदय, ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2 (85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-16 (409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1010/70-3-2015-बी०एड०(05)/2014 दिनांक 15 जून, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखीकृत विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता/विषय	पद	आधार सं०
1.	सुश्री अनिता पटेल	श्री केशव प्रसाद	01.07.87	नेट, शारीरिक शिक्षा	प्रवक्ता बी.ए.-बी.एड.	249034106507
2.	सुश्री ममता कुमारी	श्री शिवराम बिन्द	02.11.77	नेट/हिन्दी	प्रवक्ता बी.ए.-बी.एड.	267149110695
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा	श्री रामजतन वर्मा	13.07.62	एम.एफ.ए.	प्रवक्ता बी.ए.-बी.एड.	903655372391
4.	सुश्री सरोज कुमारी गोंड	श्री बच्चन प्रसाद गोंड	26.03.87	नेट, इतिहास	प्रवक्ता बी.ए.-बी.एड.	864311548157
5.	सुश्री प्रियंका तिवारी	श्री रविन्द्र तिवारी	03.07.86	नेट, संगीत	प्रवक्ता बी.ए.-बी.एड.	621975798685
6.	सुश्री प्रज्ञा सिंह	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	10.03.92	एम.म्यूज	प्रवक्ता बी.एस-सी. बी.एड.	320718982529
7.	सुश्री कृति विश्वकर्मा	श्री शंकरलाल विश्वकर्मा	05.03.90	एम.एफ.ए.	प्रवक्ता बी.एस-सी. बी.एड.	345906955894

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पारापोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ताओं को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै०सा०, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, मा०गा० काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक, मा०गा० काशी विद्यापीठ, वाराणसी।